फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता
डीजी परिपत्र संख्या- 14 /2015

अरविन्द कुमार जैन
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः मार्च 4 ,2015

विषय- प्रदेश में बैंकों द्वारा स्थापित ए0टी0एम0 की लूट की घटनाओं के रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय,

अभी हाल ही में प्रदेश के कतिपय जनपदों में बैंकों के स्थापित ए0टी0एम0 मशीन में पैसा डालते समय अपराधियों द्वारा लूट सहित हत्या कारित किया जाना प्रकाश में आया है। इसके अतिरिक्त कुछ जनपदों में अपराधियों द्वारा ए0टी0एम0 मशीन उठा ले जाने की घटनाएं घटित हुई है। इन घटनाओं के घटित होने से ऐसा आभास होता है कि बैंकों/बैंकों के स्थापित ए0टी0एम0 की सुरक्षा तथा गस्त एवं पिकेट व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासन ने अपने पत्र संख्या-644पी/छः-पु0-3-2015-57पी/2014 दिनांक 03.03.2014 को आप समस्त को भी प्रदेश में बैकों द्वारा स्थापित ए0टी0एम0 की लूट की घटनाओं के रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2. आप सहमत होंगे कि इस प्रकार की घटित घटनाओं के रोकथाम हेतु पुलिस की अधिक सजगता एवं सक्रियता की आवश्यकता है। बैंकों की लूट/बैंकों द्वारा स्थापित ए0टी0एम0 की लूट/चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु इस मुख्यालय से परिपत्र संख्या-20/2006 दिनांक 08.06.2006 के माध्यम से समस्त जनपद प्रभारियों को दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान पुनः आकर्षित करते हुए बैंकों/बैंकों के स्थापित ए0टी0एम0 में लूट एवं चोरी की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु निम्नवत् कार्यवाही की अपेक्षा करता हूँ।

- बैंक/ए0टी0एम0 की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर स्थायी पिकेट की व्यवस्था की जाए।
- बैंकों व ए0टी0एम0 के आस-पास पार्किंग स्टैण्ड/चाय, पान की दुकान पर अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग करायी जाए।
- पैट्रोलिंग पार्टी द्वारा बैंक की कार्य अवधि में बैंक के भीतर जाकर बैंकों के शाखा प्रबन्धक से भी आपसी समन्वय कर स्थिति का आंकलन किया जाए।
- रात्रि गश्त योजना बनाते समय नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बैंकों की उन शाखाओं/ए0टी0एम0 जो एकान्त स्थानों पर स्थापित हो उन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- विगत वर्षो में बैंक/ए0टी0एम0 लूट की घटनाओं में संलिप्त पाये गयें अपराधियों की गतिविधियों एवं क्रिया कलापों पर सर्तक दृष्टि रखी जाए एवं आवश्यकतानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाए।

- बैंकों/बैंकों के स्थापित ए0टी0एम0 की सुरक्षा में लगाये गये निजी गार्डो, अंशकालिक सेवायोजित कर्मियों की नियुक्ति से पूर्व उनका चरित्र सत्यापन कराने एवं उनकी गतिविधियों पर निरन्तर सर्तक दृष्टि रखी जाए।

उपरोक्त इंगित बिन्दु आपके मार्गदर्शन एवं सुझाव के लिए है, इसके अतिरिक्त जनपदीय स्तर पर भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार अपने स्तर से इस प्रकार की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करें। ताकि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

मै चाहूँगा कि आप अपने अधीनस्थ राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह ऐसे प्रकरणों में पूर्ण संवेदनशीलता बरते एवं इन घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय
4-3-15
(अरविन्द कुमार जैन)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,(नाम से)
प्रभारी जनपद
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।